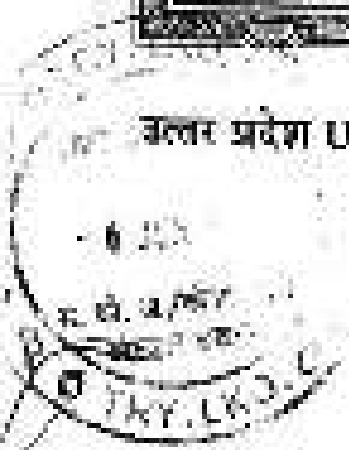


61/64

24/12/2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05/1957



विवरण विलेख

निम्न मूल्य : ₹ 40,52,875/-
 बचत मूल्य : ₹ 23,74,900/-
 लाभ मूल्य : ₹ 4,05,300/-
 परमाणु : विनोद

यह विवरण विलेख सेवा राम पुत्र बुद्धा, निवासी

पुनर्भर नगर धुसवल, परगना विनोद, तहसील व जिला



Handwritten notes at the top of the page, including "30/11/68" and "10/11/68".

Handwritten notes in the middle section, including "10/11/68" and "10/11/68".

Handwritten notes at the bottom of the first section, including "10/11/68" and "10/11/68".

श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

निम्नलिखित लेखांक एवं नामों के आधारे मजदूर
 के नाम एवं आय का ~~...~~
 तालिका तैयार की ~~...~~
 प्रेषित किया।



Handwritten signature or note on the right side of the page.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051988

- 2 -

लखनऊ जिले आगे विहरेला कला गया है, एवम् बिन्दा पुत्र
आगेस्वर कोठी निवासी-ग्राम पिर्जापुर मिटारी, पोस्ट-नीगाँव,
जिला फतेहपुर, जिले आगे क्रोटा करत गया है, के पास निष्ठादि
किया गया।

जि. लखनऊ
[Signature]

जि. बिन्दा
[Signature]

भारत सरकार, लखनऊ

दिनांक १०/११/५३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

प्रति श्री १०३३

पुनः श्री १०३३

विषय: श्री १०३३

श्री १०३३

पुनः श्री १०३३

विषय: श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

श्री १०३३

१०/११/५३



प्रमुख मंत्री, शिक्षा विभाग

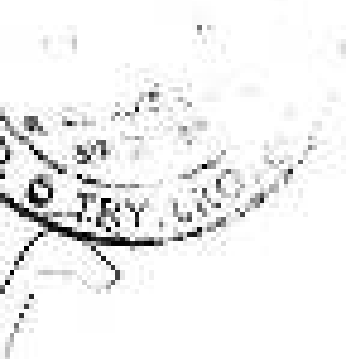
आपके निम्नलिखित पत्र पर ध्यान

दिनांक १०/११/५३



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051989



- 3 -

यह कि विवेका भूमि खसरा नं० 242 रकबा 2.159 हेक्टेअर
स्थित ग्राम गुलापपुर नगर मुख्यालय, परगना-विजयनगर, ताहसील व
जिला, लखनऊ के मालिक, कायम व कानून है तथा स्थापित

विश्वेश्वर

विश्वेश्वर



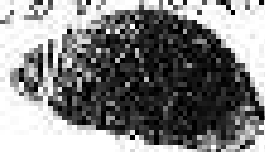
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05/1990

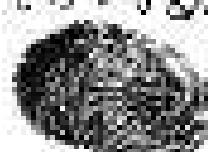
- 4 -

षट्षाधिक खाता खतीनी क्रम संख्या 00223 के अनुसार विक्रेता
के नाम पर अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता
अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विजय

दि ११ सितम्बर १९९०



दि ११ सितम्बर १९९०





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051970

- 5 -

कट रहा है विवेचना उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कानून व
कायिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह
कि विवेचना यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी

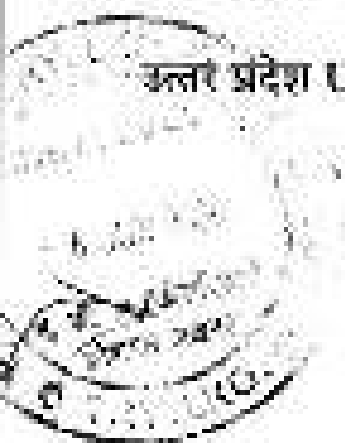
सिद्धांत सुवर्ण

सिद्धांत सुवर्ण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051972

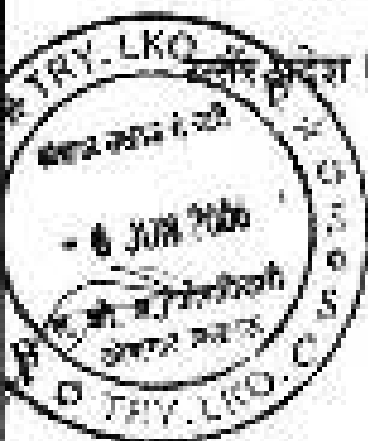


- 7 -

न्यायालय या सरकारी कार्यावाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु
विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। मिलाता ये अलावा ऊपर
भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं

निष्कर्ष
[Signature]

निष्कर्ष
[Signature]



जिला न्यायालय UTTAR PRADESH

051973

- 8 -

है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त राशियों के फलस्वरूप रा० 40,52,875/- लिखवा बालीस जास्य बायन हजारे आठ सौ

लक्ष विक्रेता

लिखवा बायन



051974

- 9 -

पञ्चसलर लमबा) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त कंता द्वारा
विश्लेषा की हल विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि
के अनुसार गुगलान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति की

वि. क. मेहरा

वि. क. बिन्दु



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADISH

05/1976

- 11 -

दिया है, एवं निकला ने विजयशुभा भूमि का मीकें पर कब्जा करना
 को बहली कर दिया गया है। अब उक्त आराधनी पर निकला तथा
 उसके वादिराज का कोई अधिकार नहीं है। निकला ने विजयशुभा

विजयशुभा

विजयशुभा



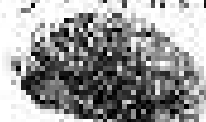
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05/1977

- 12 -

राज्य में अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतः
 स्वतंत्रता के लिए जैसा भी इच्छानुसार कर दिया है। अब जैसा
 निम्नलिखित राज्य एवं उसके प्रत्येक गांव को अपने एकमात्र

राज्य



राज्य



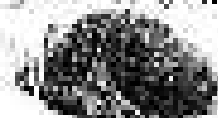
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051978

- 11 -

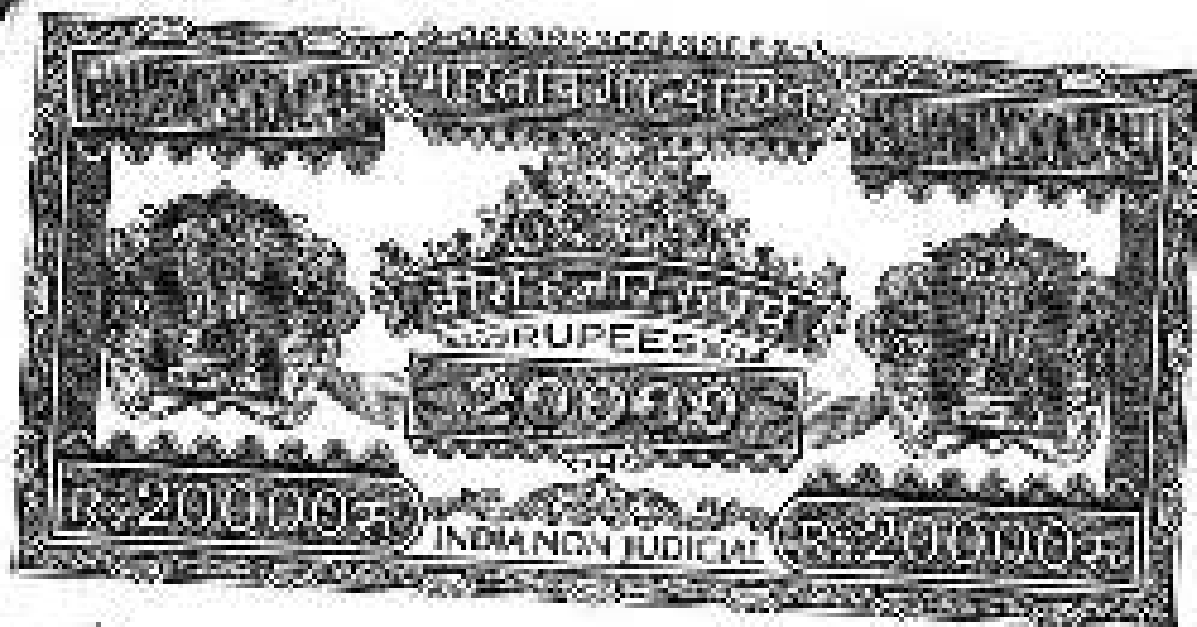
स्वामित्व व अधिकार व कब्जे से सम्बन्धित छे तब में धातु एवं
उत्पन्न व उपभोग करेंगे। विशेषता तबमें किसी मालिक की अज्ञान
बना नहीं छल सक्ती एवं न ही कोई माग कर सकेंगे। और यदि

अ. न. न. न.



अ. न. न. न.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051979

- 14 -

वित्तियुक्त सम्पत्ति अथवा कोई मांग विवेका के ज्ञापित्व में नुति
के कारण वा यन्तूनी अथवा वा यन्तूनी नुति के कारण होता या
उसके मारिस्तान निष्ठावकताय हायादि के कर्षों वा अधिकार वा
निष्ठावकताय





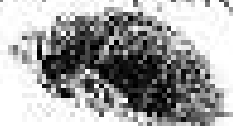
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051980

- 15 -

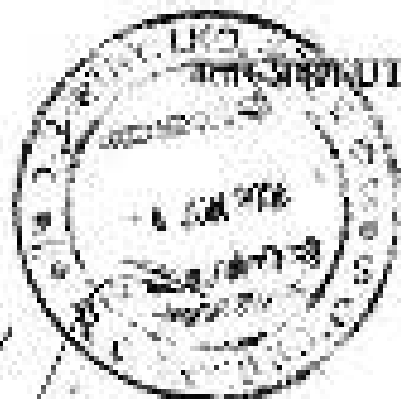
स्वयं से निकल आये तो सेवा उसके कारिखाने, निष्पादन
इत्यादि का रख रक्क होगा कि वह अपना सम्पत्ति नुकसान नये
होता व लब्धा, निष्पत्ति की वल, अपना सम्पत्ति से जड़िये अवाता

निष्पत्ति



निष्पत्ति





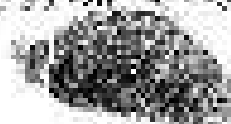
051987

- 18 -

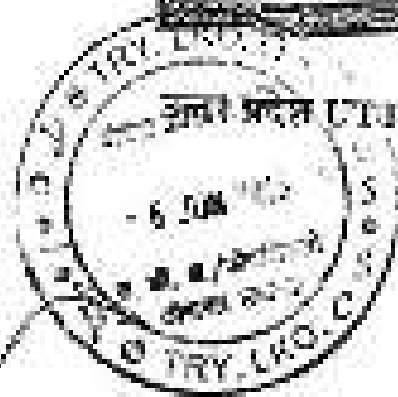
बसल कर ले। उस स्थिति में विवेका एवं उसके परिणाम इत्यादि

खर्च देने हेतु बाध्य होगा।

दिनांक २०/०५/२०००



दिनांक २०/०५/२०००

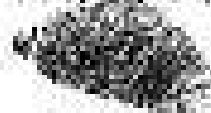


051982

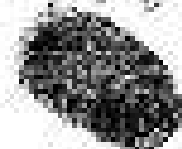
13.

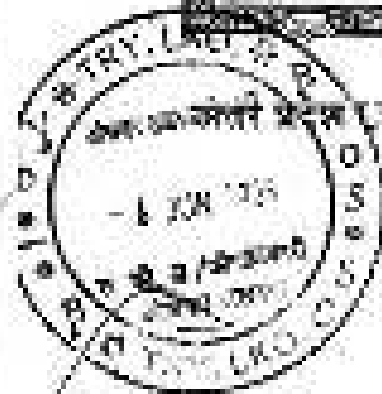
यह कि जेता विवेकशुद्ध सत्यता की सज्जित छाति
 टण्डल अभिलेखा में अपनी नाम दर्ज करा हैं तो विलेखा को कोई
 आपत्ति न होगी और वह कि इस विवेक विलेख के पृष्ठ का अन्त

निवेदन



निवेदन





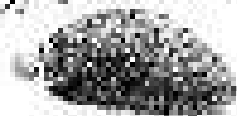
UTTAR PRADESH

051983

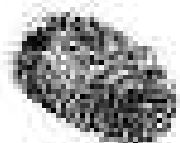
- 18 -

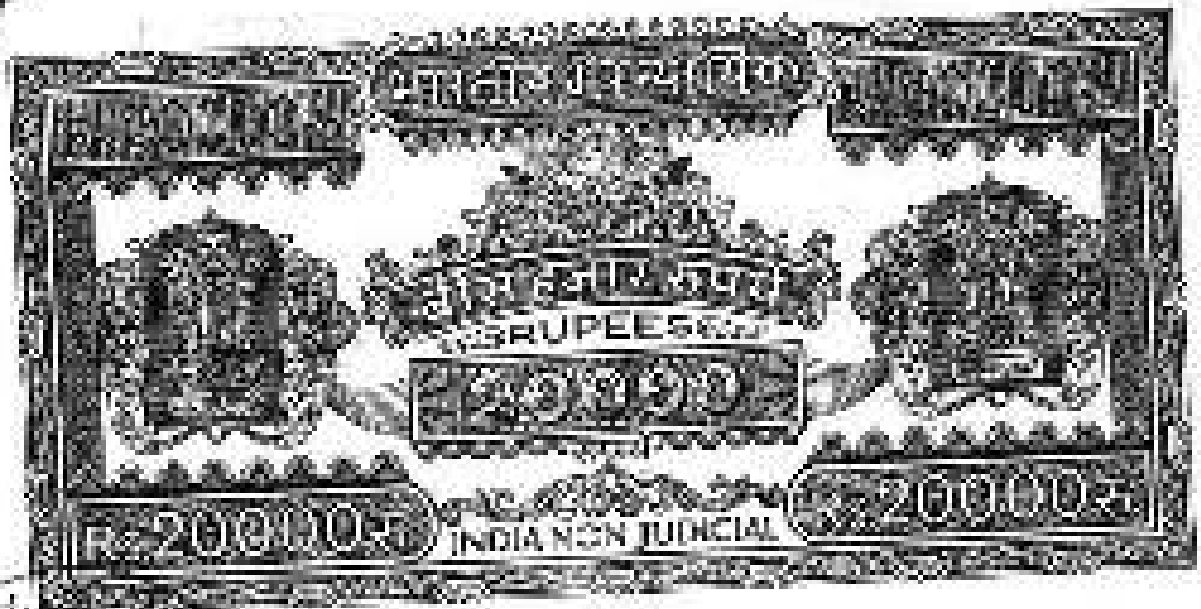
कोई कलाया कितनी सख्त यह भार हरा सम्पत्ति पर होगा तो
उसको सिलेता मुक्तान व दण्ड पदों, सिलेता को कोई क्षति
न होगी।

जि. ए. डी. वि. वि.



जि. ए. डी. वि. वि.





भारत प्रदेश UTTAR PRADESH

051984

- 19 -

यह कि उम्मीदवार कसबा गन्नाट नाम कुलपति नगर पुनर्वास,
अर्धनगरीय क्षेत्र के निदेशित नाम के अन्तर्गत आता है इसलिए
निर्धारित सटॉक के रु 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब
से विवरित गूमि 2.159 हेक्टेयर की मालिकता रु 23,74,900/-

कि.क.स.स.स.
[Signature]

कि.क.स.स.स.
[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

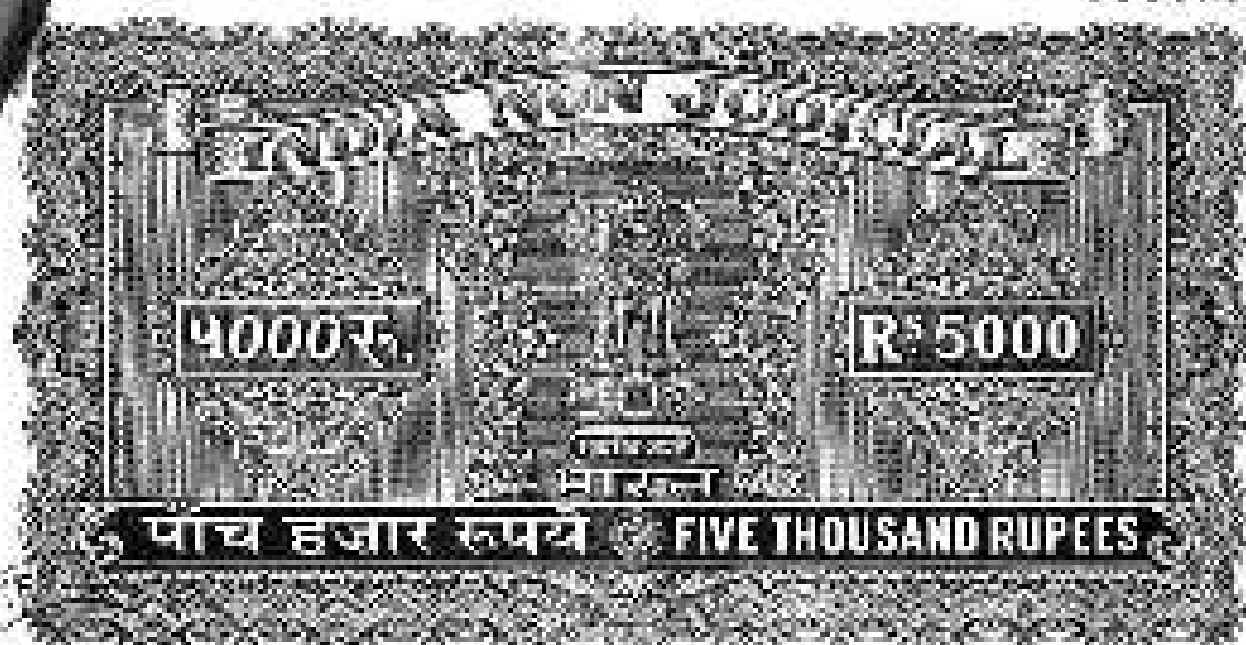
05/1985

- 20 -

होती है, चूंकि प्रत्येक मूल्य भूमि की प्रत्येक मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार प्रत्येक मूल्य पर ही २५.०००/- का प्रत्येक मूल्य अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त प्रत्येक भूमि की प्रत्येक मूल्य के अभाव में प्रत्येक मूल्य की जा रही है। इस भूमि में कोई भी भूमि

निर्माण के लिए

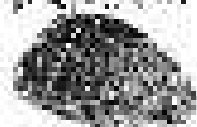
निर्माण के लिए



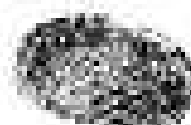
59772

-21-

तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धवृत्त में कोई निर्माण नहीं है। विहीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विहीत भूमि राजाजपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक व गहराई पथ से 200 मीटर से दूर है।



(दि. 10/05/08)

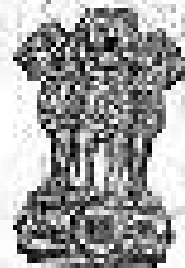


भारतीय नगर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

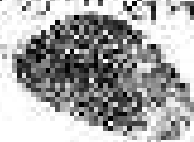


- 21 -

अधिक दूरी पर लिखा है। विवेका व तर्का दोनों अनुसूचित जाति
के सदस्य हैं। इस विषय विवेका के विवेका का समस्त व्यव

काया द्वारा बहुत किया गया है।

विषय विवेका



विषय विवेका





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 23 -

परिशिष्ट - विवरण विनयशुभा सम्पत्ति का विवरण

भूमि कसरा नं० 242 कक्षा 2.159 हेक्टेअर विना राम मुखपट्ट

नगर पुसपल, परगना-विजौर, तहसील व जिला, लखनऊ के

जिसकी पीछदी निम्न है।

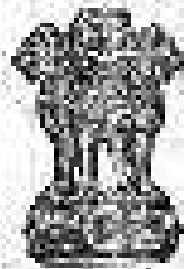
भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21

अक्षरा नं० 242

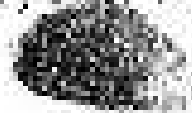
उत्तर : अक्षरा संख्या-238, 239, 240, 241

प्रमाण : अक्षरा संख्या-243, 244, 245, 246, 247

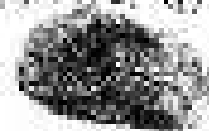
मूल्य : अक्षरा संख्या-266, 268, 269, 270

परिमित : अक्षरा संख्या-159, 162

सिद्धा लिखाण



सिद्धा लिखाण

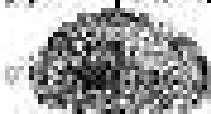


समाप्त ३०/१२/२००० ३४०० परगना सिन्धुद्वीप तहसील व
जिला सिन्धुद्वीप

क.रा.वा. संख्या- ३४३-
पृष्ठ २, १५५ ई.



सिन्धुद्वीप



सिन्धुद्वीप

सिन्धुद्वीप

सिन्धुद्वीप

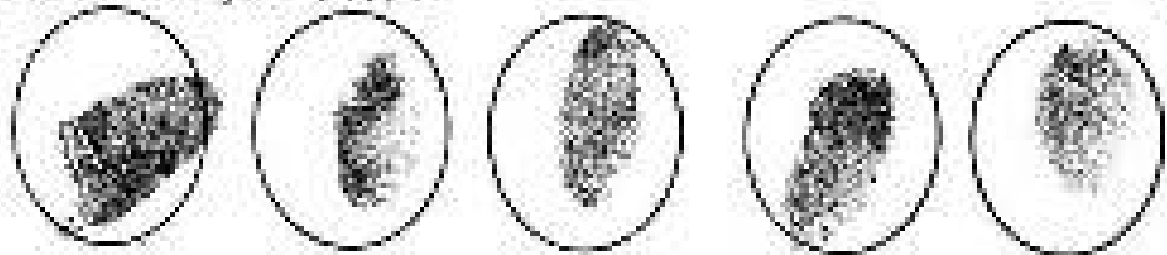
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 (3) के अनुपालन हेतु रिजिस्ट्रार प्रिजेंटर्स

पंजीकृत/रजिस्ट्रार नाम व पता :-

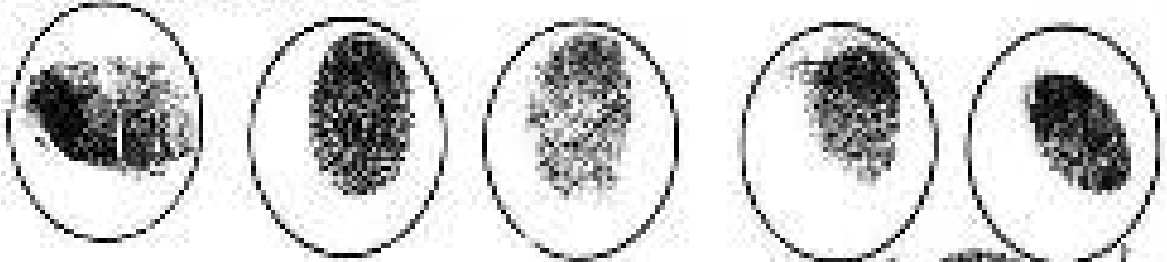
रजिस्ट्रार, पंजीकृत, पंजीकृत, पंजीकृत, पंजीकृत

सर्वेक्षण की गई अवधि के दिनांक :-

रजिस्ट्रार



पंजीकृत/रजिस्ट्रार की अवधि के दिनांक :-



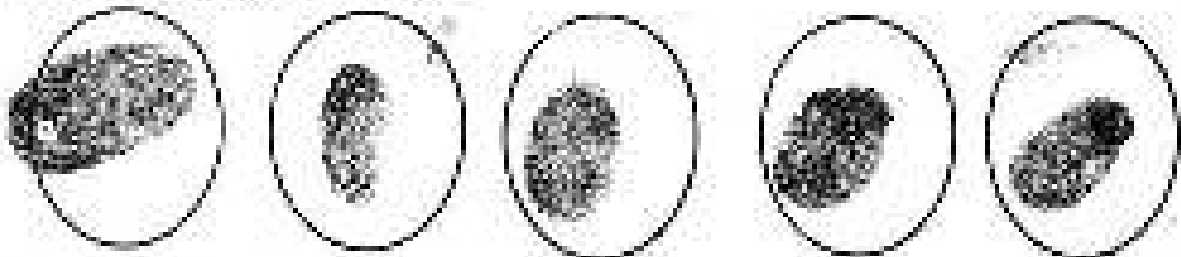
519.

रजिस्ट्रार

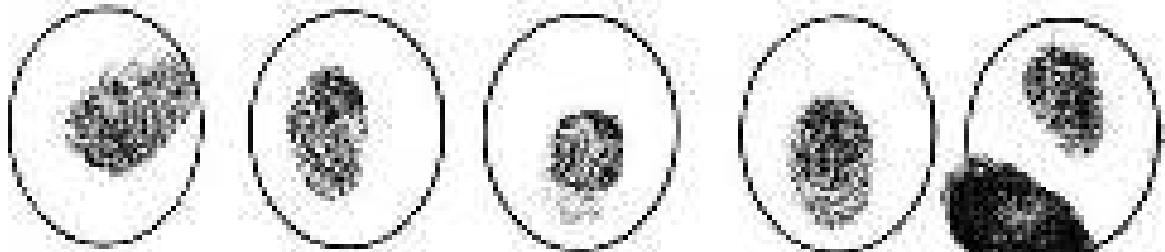
पंजीकृत/रजिस्ट्रार नाम व पता :-

रजिस्ट्रार, पंजीकृत, पंजीकृत, पंजीकृत, पंजीकृत

सर्वेक्षण की गई अवधि के दिनांक :-



पंजीकृत/रजिस्ट्रार की अवधि के दिनांक :-



रजिस्ट्रार

सी

ता

रजिस्ट्रार

[illegible]